विषयः- तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना ।

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लिये निर्णय अनुसार तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से स्वीकृत की गई है । इस योजना हेतु पात्र छात्रों/छात्राओं का चयन प्रत्येक वर्ष प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर किया जायेगा । इस योजना के दो भाग हैं ।

(1) **व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति -**

प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी का चयन छात्रवृत्ति हेतु किया जावेगा, जिसने कि किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी भी व्यवसायिक कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. आदि में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स में प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12 हो । विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/- एवं द्वितीय तथा पश्चात्वर्ती वर्षो में रूपये 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल चार वर्षो में राशि उपलब्ध करायी जावेगी । एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे विद्यार्थी का चयन किया जावेगा, जिसने कि कक्षा 12 वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया हो । भुगतान छात्र/छात्रा को A/C Payee बैंक चेक द्वारा किया जायेगा । राशि का भुगतान प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी द्वारा व्यावसायिक कोर्स के सम्बंधित वर्ष के प्रवेश शुल्क के भुगतान के उपरान्त ही किया जावेगा ।

इस योजना के अन्तर्गत योजना प्रारंभ से प्रथम, तृतीय, पंचम आदि वर्ष में छात्रा वर्ग के लिये आरक्षित रहेंगें । द्वितीय एवं चतुर्थ आदि वर्ष में छात्राओं के लिये कोई आरक्षण नहीं रहेगा । यदि किसी वर्ष किसी भी विद्यार्थी का चयन नहीं होता है, तो उसको आगामी वर्षों हेतु Carry forward किया जावेगा, परन्तु छात्रा हेतु आरक्षित वर्ष में किसी भी पात्र छात्रा के उपलब्ध न होने की स्थिति में छात्र का चयन किया जावेगा ।

(2) **मेघावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार -**

प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कक्षा 8वी में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को रूपये 2,000/, कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को रूपये 2,500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 3,000/- पुरूस्कार राशि दी जावेगी । वर्ष 2011 के परीक्षा परिणामों के आधार पर वर्ष 2011-12 से योजना प्रारम्भ की जाना है । यह पुरस्कार छात्र तथा छात्रा वर्ग में पृथक-पृथक दिये जावेंगें । इस प्रकार इस योजना पर प्रत्येक प्राथमिक समिति में प्रतिवर्ष रूपये 15,000/- राशि व्यय होगी । भुगतान छात्र/छात्रा को बैंक चेक द्वारा किया जायेगा तथा समिति प्रबंधक के द्वारा हस्ताक्षर चेक के पीछे सत्यापित किये जावेंगे, ताकि बैंक खाता खोलने की अनिर्वायता न रहे ।

उपरोक्त दोनों योजनाओं की पात्रता तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के पुत्र/पुत्रियों को होगी । संग्राहक परिवार उसको माना जावेगा जिनके द्वारा विगत तीन वर्षो (वर्ष 2011-12 में योजना के लाभ हेतु संग्रहण वर्ष 2008, 2009 व 2010) में, कम से कम दो वर्षो में प्रत्येक वर्ष कम से कम 500 गड्डी तेन्दूपत्ता तोड़ा गया हो । छात्रवृत्ति योजना का लाभ द्वितीय तथा आगामी वर्ष में जब ही मिलेगा जब विद्यार्थी के द्वारा विगत वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये जावें तथा उसके परिवार के द्वारा न्यूनतम 500 गड्डी तेन्दूपत्ता संग्रहण किया जावें । यदि एक वर्ष में दो सेमेस्टर होते हैं तो दोनों सेमेस्टर में प्राप्त अंकों का योग कर प्रतिशत की गणना की जावेगी ।

उपरोक्त दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए छात्र/छात्राओं के द्वारा आवेदन प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के कार्यालय में दिया जायेगा । व्यवसायिक शिक्षा के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन संलग्न **प्रपत्र-अ** में 31 अगस्त तक तथा मेघावी छात्र/छात्रा पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र **प्रपत्र-ब** में 30 जून तक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति कार्यालय में छात्र/छात्रा के द्वारा प्रस्तुत करना

होगा । आवेदन में दर्शायी तेन्दूपत्ते की संग्रहित मात्रा की पुष्टि प्रबंधक/पोषक अधिकारी के द्वारा अभिलेख से की जावेगी । प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर निम्नानुसार सदस्यों की समिति का गठन किया जाता है :-

(1) अध्यक्ष- प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति
(2) उपाध्यक्ष- प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति
(3) पोषक अधिकारी- प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति
(4) प्रबंधक- प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति

इस समिति के द्वारा बैठक आयोजित कर पात्र छात्र/छात्रा का चयन कर प्रस्ताव अनुमोदन हेतु परिक्षेत्र अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा । यदि एक समिति का क्षेत्र एक से अधिक परिक्षेत्र का है तो यह प्रस्ताव उस परिक्षेत्र अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा, जिसमें कि समिति का मुख्यालय स्थित है । परिक्षेत्र अधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने पर 15 दिवस के अन्दर अपने निर्णय से प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति को अवगत करायेंगें । परिक्षेत्र अधिकारी का मुख्य दायित्व यह होगा कि वह यह जॉच कर लें कि फर्जी अंकसूची के आधार पर किसी छात्र/छात्रा का चयन नहीं होना चाहिए तथा शिक्षण संस्था किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त हों । उनके द्वारा छात्र/छात्रा के प्राप्तांकों की पुष्टि सम्बंधित विद्यालय से कर लेना चाहिए ।

द्वितीय एवं आगामी वर्षों की छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु आवेदन प्रपत्र - **स** में प्रस्तुत किया जावेगा तथा इसका परीक्षण भी उपरोक्तानुसार गठित समिति तथा परिक्षेत्राधिकारी द्वारा ही किया जाकर राशि भुगतान की जावेगी ।

उपरोक्तानुसार दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान प्राथमिक समिति के स्थापना व्यय हेतु किया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष	**छात्रवृत्ति हेतु प्रावधानित राशि**	**पुरस्कारों की प्रावधानित राशि**	**योग**
2011-12	10000.00	15000.00	25000.00
2012-13	15000.00	15000.00	30000.00
2013-14	20000.00	15000.00	35000.00
2014-15 एवं आगामी वर्ष	25000.00	15000.00	40000.00

प्राथमिक समिति के संचालक मंडल तथा आमसभा में इस विषय पर प्रस्ताव के माध्यम से छात्र/छात्रा के नामों तथा भुगतान राशि की जानकारी दी जावेगी ।

इस पत्र की प्रति सभी परिक्षेत्र अधिकारियों एवं उप वनमंडलाधिकारियों तथा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को प्रेषित की जाये । इन अधिकारियों का दायित्व है कि वह अपने कार्य क्षेत्र में इस योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ।

संलग्न :- प्रपत्र अ, ब एवं स ।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

प्रपत्र-अ

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की व्यवसायिक शिक्षा के प्रथम वर्ष के लिए छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन पत्र

1.	छात्र/छात्रा का नाम	
2.	पिता/माता (संग्राहक परिवार के मुखिया) का नाम	
3.	छात्र/छात्रा की जन्म तिथि	
4.	पूरा पता	
5.	संग्रहण केन्द्र (फड़) का नाम	
6.	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम	
7.	छात्र/छात्रा के परिवार के द्वारा विगत 3 वर्षों में संग्रहित तेन्दूपत्ते की मात्रा एवं संग्राहक कार्ड क्रमांक	क्रं. वर्ष तेन्दूपत्ते की संग्रहित मात्रा (गड्डी में) संग्राहक कार्ड क्रं. 1. 2. 3.
8.	कक्षा 12वीं के विद्यालय का नाम	
9.	कक्षा 12 वीं की परीक्षा किस सत्र में उत्तीर्ण की गई	
10.	कक्षा 12 वीं में कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत (मार्कशीट की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	
11.	जिस व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश लिया गया है, उसका विवरण - 1.व्यावसायिक कोर्स का नाम- 2.व्यावसायिक कोर्स की अवधि- 3.व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश अर्थात् प्रवेश शुल्क के भुगतान का प्रमाण 4. विद्यालय जिसमें अध्ययन किया जा रहा है । 5.विश्वविद्यालय का नाम -	
12.	सम्पर्क दूरभाष नम्बर	

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

संग्राहक परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर

दिनांक :-

(अगला पृष्ठ देखें)

टीप-

(1) व्यवसायिक कोर्स के लिए न्यूनतम अर्हता कक्षा 12 होना चाहिए ।

(2) व्यवसायिक कोर्स में इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि तथा एम.बी.ए. आदि सम्मिलित हैं ।

(3) प्रत्येक वर्ष प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र से एक छात्र/छात्रा का चयन कक्षा 12 में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा ।

(4) वर्ष 2011-12, 2013-14 तथा 2015-16 आदि छात्रा के लिए आरक्षित रहेंगें, परन्तु आरक्षित वर्ष में भी छात्रा के उपलब्ध न होने पर छात्र का चयन किया जावेगा ।

(5) प्रथम वर्ष में रूपये 10,000 तथा द्वितीय से चतुर्थ वर्ष में प्रतिवर्ष रूपये 5000 का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थी को किया जावेगा ।

(6) यह आवेदन सम्बंधित प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के कार्यालय में सम्बंधित वर्ष में 31 अगस्त तक पावती प्राप्त कर जमा करना है ।

प्रपत्र-ब

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की मेघावी छात्र/छात्रा (कक्षा 8, 10 तथा 12 की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर)
योजना अन्तर्गत पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र

1.	छात्र/छात्रा का नाम	
2.	पिता/माता (संग्राहक परिवार के मुखिया) का नाम	
3.	छात्र/छात्रा की जन्म तिथि	
4.	पूरा पता	
5.	संग्रहण केन्द्र (फड़) का नाम	
6.	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम	
7.	छात्र/छात्रा के परिवार के द्वारा विगत 3 वर्षों में संग्रहित तेन्दूपत्ते की मात्रा एवं संग्राहक कार्ड क्रमांक.	<u>क्रं.</u> <u>वर्ष</u> <u>तेन्दूपत्ते की संग्रहित मात्रा</u> संग्राहक <u>कार्ड क्रं.</u> 1. 2. 3.
8.	विद्यालय का नाम	
9.	पिछले शिक्षा सत्र में उत्तीर्ण कक्षा	शिक्षा सत्र - उत्तीर्ण कक्षा -
10.	पिछले शिक्षा सत्र में कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत (मार्कशीट की फोटोप्रति संलग्न की जाये ।)	
11.	सम्पर्क दूरभाष नम्बर	

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर　　　　　　संग्राहक परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर

दिनांक :-

टीप- (1) प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र में विगत वर्ष की परीक्षा में अधिकतम अंक पाने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को निम्नानुसार पुरस्कृत किया जावेगा ।

कक्षा 8 में अधिकतम अंक-　　रूपये 2000
कक्षा 10 में अधिकतम अंक-　　रूपये 2500
कक्षा 12 में अधिकतम अंक-　　रूपये 3000

(2) यह आवेदन सम्बंधित प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के कार्यालय में सम्बंधित वर्ष में 30 जून तक पावती प्राप्त कर जमा करना है ।

प्रपत्र-स

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की व्यवसायिक शिक्षा के द्वितीय एवं आगामी वर्षों के लिए छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन पत्र

1.	छात्र/छात्रा का नाम	
2.	पिता/माता (संग्राहक परिवार के मुखिया) का नाम	
3.	छात्र/छात्रा की जन्म तिथि	
4.	पूरा पता	
5.	संग्रहण केन्द्र (फड़) का नाम	
6.	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम	
7.	(अ) छात्र/छात्रा के परिवार के द्वारा विगत वर्ष में संग्रहित तेन्दूपत्ते की मात्रा (ब) संग्राहक कार्ड क्रमांक-	
8.	(अ) व्यावसायिक कोर्स का नाम- (ब) व्यावसायिक कोर्स में प्रथम वर्ष का वार्षिक सत्र - (स) विद्यालय जिसमें अध्ययन किया - (द) विश्वविद्यालय का नाम - (इ) सत्र जिसके लिये छात्रवृत्ति चाही जा रही है - (क) विगत वार्षिक सत्र में प्राप्त अंकों का विवरण - (दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट की सत्यापित प्रति संलग्न करें) (ख) प्रवेश शुल्क जमा करने का साक्ष्य संलग्न करें ।	
9.	सम्पर्क दूरभाष नम्बर-	

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर   संग्राहक परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर

दिनांक :-

टीप -यह आवेदन सम्बंधित प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के कार्यालय में पावती प्राप्त कर जमा करना है ।